

# कार्यालय: प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

श्री/कु०/श्रीमती

.....

.....

.....पता:.....

.....

मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ्य घोषित होने पर आपका निम्नलिखित शुल्क उसी दिन इस कार्यालय में जमा करना होगा। सभी शुल्क का भुगतान आपको बैंक ड्राफ्ट/बैंक जमा पर्ची द्वारा जमा करना आवश्यक होगा। शासनादेश संख्या- 2240/71-3-2010-328/91 दिनांक- 20.09.2010 द्वारा शुल्क का विवरण-

क्र०सं०	शुल्क विवरण	सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग
01	शिक्षण शुल्क	18000	9000
02	अन्य शुल्क	4000	4000
03	प्रवेश शुल्क	2000	2000
04	डेवलेपमेण्ट शुल्क	2000	2000
05	काशनमनी (रिफन्डेबल)	10000	10000
06	छात्रावास शुल्क डबल सिटेड 200रू०/- प्रति माह	2400	2400
07	विद्युत शुल्क 200रू०/- प्रति माह	2400	2400
कुल योग		40,800/-	31,800/-

प्रवेश के समय आपके हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट सर्टीफिकेट एवं समस्त परीक्षाओं के सर्टीफिकेट/अंक तालिका की मूल प्रतियों एवं उसकी एक छायाप्रति (सत्यापित) इस कार्यालय में कम से कम एक वर्ष के लिए जमा करना अनिवार्य होगा, एवं प्रथम प्रोफेशनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्रों द्वारा जमा किया गया मूल प्रमाण पत्र कार्यालय से वापस प्राप्त कर सकते हैं।

**बैंक ड्राफ्ट/बैंक जमा पर्ची बनवाने का निर्देश:-** प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के नाम से बनवाना अनिवार्य है।

विद्यालय/छात्रावास एवं अन्य शुल्क प्राप्त किया।

रसीद नं०.....दिनांक.....रू०..... बैंक ड्राफ्ट सं०.....

हस्ताक्षर  
कैशियर